न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 129/17 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2017/00019

अनवान्

1. श्रीमती चन्दाबाई पुत्री उंकारलाल पत्नी जमनालाल यादव निवासी नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती लीला पुत्री उंकारलाल पत्नी रणजीत यादव निवासी नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती कमला पुत्री उंकारलाल पत्नी मुन्नालाल यादव निवासी नाथद्वारा जिला राजसमन्द। मृतक के बजाय :—

3/1 श्री मुन्नालाल पिता बुधालाल यादव निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द। मृतक के बजाय :—

3/1/1 श्री प्रवीण पिता मुन्नालाल यादव निवासी सुखाडिया नगर नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

3/1/2 श्री गोविन्द पिता मुन्नालाल यादव निवासी सुखाडिया नगर नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

3/1/3 श्रीमती सुनिता पुत्री मुन्नालाल यादव निवासी सुखाडिया नगर नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

3/1/4 श्री सदीप पिता मुन्नालाल यादव निवासी सुखाडिया नगर नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

3/1/5 श्री प्रदीप पिता मुन्नालाल यादव निवासी सुखाडिया नगर नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

3/2 सुनिता माता कमला पुत्री मुन्नालाल यादव निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

3/3 श्री प्रवीण माता कमला पिता मुन्नालाल यादव निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

3/4 श्री गोविन्द माता कमला पिता मुन्नालाल यादव निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

3/5 श्री संदीप माता कमला पिता मुन्नालाल यादव निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

3/6 श्री प्रदीप माता कमला पिता मुन्नालाल यादव नाबालिग जरिये संरक्षक मुन्नालाल पिता बुधालाल यादव निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री सोहनलाल पिता उंकारलाल यादव निवासी सनवाड तहसील मावली।
2. श्री लक्ष्मण पिता उंकारलाल यादव निवासी सनवाड तहसील मावली।
3. श्री मनोहर पिता उंकारलाल यादव निवासी सनवाड तहसील मावली मृतक के बजाय :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

3/1 श्रीमती इन्द्रा पत्नी मनोहरलाल यादव निवासी सनवाड तहसील मावली।

3/2 श्रीमती कविता पुत्री मनोहरलाल पत्नी विशाल यादव निवासी नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

3/3 श्रीमती सोनु पुत्री मनोहरलाल पत्नी रोहन यादव निवासी नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

3/4 श्रीमती रेणुका पुत्री मनोहरलाल पत्नी मदन यादव निवासी जाशमा तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।

4. श्रीमती लीलाबाई बेवा चुन्नीलाल हरिजन निवासी सनवाड तहसील मावली।
5. श्री मनोज पिता चुन्नीलाल हरिजन निवासी सनवाड तहसील मावली।
6. श्री शेखर पिता चुन्नीलाल हरिजन निवासी सनवाड तहसील मावली।
7. श्रीमती संगीता पुत्री चुन्नीलाल हरिजन निवासी सनवाड तहसील मावली।
8. नगरपालिका फतहनगर सनवाड जरिये अधिशाषी अधिकारी।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
10. राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक महोदय सनवाड तहसील मावली।

..................विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री अशोक सेन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता विपक्षी सं. 3/1 से 3/4
3. श्री मनीष कुमार तम्बोली, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक :— 27.05.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की आराजी नम्बर 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1234 किता 7 कुल रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा स्थित होकर पूर्व में श्री उंकारलाल पिता खेमराज यादव के नाम अंकित थी ओर श्री उंकारलाल पिता खेमराज यादव की विरासत से केवल मात्र उनकी पत्नी श्रीमती लालीबाई एवं उनके पुत्र सोहनलाल, लक्ष्मण एवं मनोहर के नाम हिस्सा बराबर से राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित हुई जबकि प्रार्थीगण स्व. श्री उंकारलाल जी की जाईन्दा पुत्रीया होकर उंकारलाल जी के निधन के पश्चात् उनका वादग्रस्त आराजीयात में बराबर हक हिस्सा निहित हैं।
2. यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 का पारिवारिक सजरा इस प्रकार है :—

उंकारलाल पिता खेमराज यादव फौत (मूल पुरूष)

लालीबाई (पत्नी)फौत	सोहनलाल (पुत्र)	लक्ष्मण (पुत्र)	[illegible] (पुत्र)	चन्दाबाई (पुत्री)	लीलाबाई (पुत्री)	कमलाबाई (पुत्री)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

उक्त सजरे के अनुसार श्री उंकारलाल पिता खेमराज यादव के लीलाबाई के नुत्फे से तीन पुत्र सोहनलाल, लक्ष्मण, मनोहर एवं तीन पुत्रीयां प्रार्थीया संख्या 1 श्रीमती चन्दाबाई, प्रार्थीया संख्या 2 लीला बाई एवं प्रार्थीया संख्या 3 कमलाबाई का जन्म हुआ। श्री उंकारलाल के निधन के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण एवं विपक्षी सोहनलाल, लक्ष्मण एवं मनोहर में हिस्सा बराबर से निहित हुई जिससे उक्त भूमि में प्रार्थी चन्दाबाई का 1/7 हिस्सा, प्रार्थी लीलाबाई का 1/7 हिस्सा एवं प्रार्थी कमलाबाई का 1/7 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 1 सोहनलाल का 1/7 हिस्सा, विपक्षी 2 का 1/7 हिस्सा विपक्षी संख्या 3 का 1/7 हिस्सा तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की माता लालीबाई का 1/7 हिस्सा निहित हुआ लेकिन विपक्षी संख्या 1, 2 एवं प्रार्थीगण तथा विपक्षी संख्या 1 से 3 की माता लालीबाई ने प्रार्थीगण के पिता के निधन के बाद पटवारी हल्का एवं राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से उक्त भूमि केवल तीनों भाई सोहनलाल, लक्ष्मण एवं मनोहर तथा माता श्रीमती लालीबाई के नाम हिस्सा बराबर से अंकित करा ली और जानबुझकर हम प्रार्थीगण चन्दाबाई, लीलाबाई एवं कमलाबाई का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं होने दिया। पटवारी हल्का ने भी मृतक उंकारलाल जी के वारिसान की सही जांच नहीं की ओर न ही भू अभिलेख निरीक्षक ने नामान्तरकरण की जांच करने के दौरान वारिसान की जांच की ओर हम प्रार्थीगणों को हमारे हक हिस्से से महरूम रखने की बदनियत से वादग्रस्त भूमि गलत रूप से केवल मात्र तीनों भाईयों एवं माता श्रीमती लालीबाई ने अपने नाम अंकित करा ली जबकि विपक्षी सोहनलाल, लक्ष्मण एवं मनोहर तथा माता श्रीमती लालीबाई को इस बात का भली भांति ज्ञान था कि उनके तीन बहिने एवं तीन पुत्रीयां भी है और उनका श्री उंकारलाल जी की मृत्यु के पश्चात उनकी कुलिया व चल व अचल सम्पति में हक स्वत्व हित अधिकार निहित है फिर भी उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अपने नाम गलत रूप से अंकित करा ली।

3. यह कि उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण स्व. श्री उंकारलाल जी की जाईन्दा पुत्रीयां होकर उनकी विधिक वारिसान है जिनका उंकारलाल जी की भूमियों में बराबर हिस्सा है जो कि उंकारलाल जी की मृत्यु से ही चला आ रहा हैं। प्रार्थीया चन्दाबाई का 1/7 हिस्सा, प्रार्थीया लीलाबाई का 1/7 हिस्सा एवं वादीया कमलाबाई का 1/7 हिस्सा निहित है बावजूद इसके विपक्षी संख्या 1 व 2 तथा वक्त विक्रय विपक्षी संख्या 3 नाबालिग का हिस्सा जरिये माता श्रीमती लालीबाई ने एवं लालीबाई स्वयं का ने उनके हिस्से से भी अधिक भूमियां विधि विरूद्ध तरीके से बिना प्रार्थीगण एवं उनके वारिसानों की सहमति एवं जानकारी के विपक्षी संख्या 4 से 7 के ता. पिता स्व. श्री चुन्नीलाल पिता भेरूलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

हरिजन को नुमाईशी तौर पर विक्रय कर दी। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीमती लालीबाई के द्वारा बिना किसी वैध अधिकार एवं न्यायालय अनुमति के विधि विरूद्व तरीके से विपक्षी संख्या 3 की नाबालिग अवस्था में ही उसके हिस्से का भी विक्रय तथाकथित रूप से कर दिया जो कि कानूनन शून्य एवं विधि विरूद्व है ऐसे उक्त तथाकथित विक्रय प्रार्थीगण के हक अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही रद्द शून्य व बेअसर हैं।

4. यह कि इसके पश्चात् विपक्षी संख्या 4 से 7 के पिता व पति स्व. श्री चुन्नीलाल पिता श्री भेरूलाल हरिजन के द्वारा और बिना किसी वैध प्राधिकार के प्रार्थीगण के हिस्से की भूमियां भी विधि विरूद्व तरीके से आगे उक्त भूमियां में से आराजी नम्बर 1225, 1226, 1227, 1228, 1229 एवं 1234 की भूमियां नगर पालिका फतहनगर सनवाड को आबादी विस्तार हेतु आबादी में परिवर्तन कर आवासीय योजना के प्रयोजनार्थ हेतु समर्पित कर दी ऐसे में विपक्षी संख्या 1 से 3 की माता स्व. श्रीमती लालीबाई के द्वारा उक्त सभी तथाकथित अन्तरण प्रार्थीगण के हक अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही रद्द शून्य व बेअसर है तथा ऐसे विक्रय के आधार पर आगे किये गये अन्तरण एवं नगर पालिका फतहनगर सनवाड को आवासीय योजना के प्रयोजनार्थ समर्पण की प्रक्रिया भी स्वतः शून्य है ऐसे में प्रार्थीगण को उक्त प्रारम्भ से ही रद्द शून्य व बेअसर विक्रय पत्र एवं समर्पण को निरस्त कराने की आवश्यकता ही नहीं चूंकि उक्त विक्रय एवं समर्पण न तो प्रार्थीगण की जानकारी में है न ही उनके द्वारा किये गये है एवं विपक्षी संख्या 1 सोहनलाल, विपक्षी संख्या 2 लक्ष्मण तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 की माता स्व. श्रीमती लालीबाई के द्वारा विपक्षी संख्या 4 से 7 के पिता व पति तथा विपक्षी संख्या 8 से मिलीभगत कर केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर प्रार्थीगण के हिस्से की भूमियां विक्रित करने का कुत्सित प्रयास किया है जिससे प्रार्थीगण को अपने हिस्से की घोषणा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद लाया जाना अति आवश्यक हो गया है एवं नगर पालिका भूमि धारक तहसीलदार महोदय प्रकरण में आवश्यक पक्षकार एवं उपपंजीयक महोदय को प्रकरण में उत्तरोत्तर विधि विरूद्व विक्रय पत्र निष्पादित न हो इस कारण पक्षकार बनाया गया हैं।

5. यह कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता उंकारलाल पिता खेमराज यादव के नाम अंकित थी और उंकारलाल की विरासत के नामान्तरकरण संख्या 552 से यह भूमि उपर वर्णित अनुसार सोहनलाल, लक्ष्मण एवं मनोहर एवं विपक्षीगण 1 से 3 की माता लालीबाई ने अपने नाम गलत रूप से अंकित करा ली जो हम प्रार्थीगण के मुकाबले प्रारम्भ से ही अवैध होकर शून्य है और ऐसे अवैध नामान्तरकरण के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

पर प्रार्थीगण के भाई सोहनलाल, लक्ष्मण एवं मनोहर एवं विपक्षीगण 1 से 3 की माता लालीबाई को किसी प्रकार के कोई राईट एवं टाईटल प्राप्त नहीं होते है। कथित नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व पटवारी हल्का ने वारिसान की सही जांच नहीं की ओर भू अभिलेख निरीक्षक ने पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तरकरण पर अपनी टिप्पणी कर दी और कथित नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व हम प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गयी और उक्त नामान्तरकरण हम प्रार्थीगण के बिना ज्ञान, बिना सहमति के छल कपट पूर्वक हम प्रार्थीगण को हमारे हक हिस्से की सम्पति से महरूम रखने की बदनियत से खोला गया है जिसके आधार पर प्रार्थीगण के भाईयों एवं माता को सम्पूर्ण भूमि का किसी प्रकार का कोई राईट टाईटल प्राप्त नहीं होता है और यह नामान्तरकरण प्रार्थीगण के हक अधिकारों के मुकाबले शुरू से ही अवैध रद्द एवं शून्य हैं।

6. यह कि इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है एवं चूंकि प्रार्थीगण हिन्दू जाति के होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान इस पर लागू होते है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हम प्रार्थीगण हमारे पिता स्व. उंकारलाल जी के प्रथम श्रेणी के वारिसान है जिनका उनकी मृत्यु के पश्चात् से ही उनकी समस्त भूमियों में बराबर बराबर हक अधिकार है। यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि स्व. श्री उंकारलाल जी की मृत्यु निर्वसतीय हुई है तथा स्व. उंकारलाल जी की मृत्यु के पश्चात् उनकी उक्त भूमियों का नामान्तरण भी गलत तरीके से केवल मात्र उनके वारिसानों में से पुत्रों व उनकी बेवा श्रीमती लालीबाई के नाम पर दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण भी स्व. श्री उंकारलाल जी की प्रथम श्रेणी की जीवित वारिस है। जिससे अपने हिस्से की घोषणा बंटवारा एवं निषेधाज्ञा हेतु हस्तगत वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

7. यह कि प्रार्थीगण के भाई विपक्षी सोहनलाल, लक्ष्मण एवं मनोहर तथा हरआम खास को इस बात का भली भांति ज्ञान था एवं ज्ञान है कि वादग्रस्त भूमि में हम प्रार्थीगण का जन्म से ही हक अधिकार होकर संयुक्त कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है लेकिन विपक्षी 1 से 3 एवं उनके द्वारा आगे विपक्षी संख्या 4 से 7 को गलत तरीके से विक्रय किये गये उक्त सभी व्यक्ति भूमि दलाली का व्यवसाय करते है जिन्होने विपक्षी सोहनलाल, लक्ष्मण एवं मनोहर तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षी की माता श्रीमती लालीबाई को लोभ लालच के वशीभूत कर मिलीभगत कर उनके नाम गलत तरीके से राजस्व रेकार्ड में जो 1/4, 1/4 हिस्सा गलत दर्ज था उस हिस्से को विपक्षी संख्या 4 से 7 के पति व पिता चुन्नीलाल हरिजन ने स्वयं के [illegible] विक्रय पत्रों के जरिये करवा लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

जबकि विपक्षी 4 से 7 के पिता वादग्रस्त भूमि पर कभी नहीं आए और न ही उनका कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है एवं विपक्षी संख्या 4 से 7 के पति व पिता ने अन्य भूमि दलालों से मिलकर उक्त भूमि विपक्षी संख्या 8 के पक्ष में समर्पित कर दी इस प्रकार सभी विपक्षीगण ने मिलीभगत कर प्रार्थीगण का हक व हिस्सा वादग्रस्त भूमियों में से हडपने का कुत्सित प्रयास किया गया हैं।

8. यह कि हम प्रार्थीगण को नाजायज नुकसान पहुंचाने की बदनीयत से विपक्षी सोहनलाल, लक्ष्मण एवं मनोहर तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षी की माता श्रीमती लालीबाई ने उक्त भूमि को बिना कब्जा, बिना हक अधिकार के कुलिया भूमि विपक्षी 4 से 7 के पति व पिता श्री चुन्नीलाल हरिजन को नुमाईशी विक्रय पत्रों से विक्रय कर दी जो विक्रय हमारे मुकाबले अवैध होकर प्रारम्भ से ही रद्द शून्य व बेअसर है और उक्त विक्रय पत्र विपक्षी सोहनलाल, लक्ष्मण एवं मनोहर तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षी की माता श्रीमती लालीबाई ने अपने हक हिस्से से ज्यादा के निष्पादित किये गये है जिनके आधार पर विपक्षी सोहनलाल, लक्ष्मण एवं मनोहर तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षी की माता श्रीमती लालीबाई एवं कथित क्रेता विपक्षी 4 से 7 के पति व पिता श्री चुन्नीलाल हरिजन को किसी प्रकार का कोई राईट टाईटल प्रार्थीगण के हिस्से बाबत् प्राप्त नहीं होता हैं। विपक्षी संख्या 4 से 7 के पति व पिता श्री चुन्नीलाल हरिजन एवं विपक्षी संख्या 8 ने मिलकर उक्त भूमि में से कुछ भूमियां आपसी तोर से नुमाईशी रूप से केवल मात्र दस्तावेजों में आबादी परिवर्तन कर लिया। जो भी प्रार्थीगण के हक अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही रद्द शून्य व बेअसर है जिससे सम्बन्धित प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार सृजित नहीं होते हैं।

9. यह कि वादग्रस्त भूमि में स्व. उंकारलाल जी के निधन के बाद हम प्रार्थीगण भी प्रथम श्रेणी की वारिस होने से वादग्रस्त भूमि में हमारा कानूनन 1/7, 1/7 हक हिस्सा जन्म से ही निहित है और विपक्षी सोहनलाल, लक्ष्मण एवं मनोहर तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षी की माता श्रीमती लालीबाई ने अपने 1/7, 1/7 हक हिस्से से ज्यादा 1/4, 1/4 हक हिस्से का अंकन कर फर्जी अवैध विक्रय पत्रों के आधार पर भूमि अन्य विपक्षीगण को उपरोक्तानुसार विक्रय कर दी जिससे विपक्षी संख्या 8 वादग्रस्त भूमि से हम प्रार्थीगण को बेदखल करने, रहन बैह, बक्षीस आदि तरीको पर आमादा है तथा केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में भूमियां उनके नाम पर होने से प्रार्थीगण को उनके हक व अधिकारों को चुनोती दे रहे है एवं धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि हमारे नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है इसलिए हम भूमि से बेदखल कर देगे जिस पर प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को समझाने का प्रयास किया लेकिन विपक्षीगण नहीं माने जिससे प्रार्थीगण को भय हो गया है कि विपक्षीगण हम प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देगे एवं हमें हमारे संयुक्त हक हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार उपयोग उपभोग करने, काश्त करने में बाधा पैदा करेगे जिस स्थिति में प्रार्थीगण को अपने हक व अधिकारों की रक्षा के लिए मूलवाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना न्यायहित में आवश्यक हो गया हैं।

10. यह कि विपक्षीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि को दौराने वाद रहन बैह बक्षीस आदि तरीको से किसी को भी हस्तान्तरित नहीं करे तथा प्रार्थीगण को अपने 1/7, 1/7 हक हिस्से अनुसार संयुक्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं करे। बाड, पेड, फसल आदि को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचावे तथा राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। वे यह कार्य न तो स्वयं करे, न ही अपने नौकर एजेन्ट या कुटुम्बी से ही करावे। वादग्रस्त भूमियां प्रार्थीगण के पिता के नाम पर राजस्व कृषि भूमियां होकर प्रार्थीगण की माता एवं भाईयों के द्वारा विधि विरूद्व तरीके से उक्त भूमियो का तथाकथित रूप से बेचान कर दिया जबकि प्रार्थीगण का उक्त भूमियों में हक व हिस्सा आज भी निहित है जिसके आधार पर प्रार्थीगण के द्वारा कृषि भूमियों में अपना हिस्सा घोषित करने की सहायता चाही गयी है जिसकी दाद केवल मात्र माननीय राजस्व न्यायालय आप द्वारा ही दी जा सकती है इसके अतिरिक्त अवैध तरीके से किये गये पश्चात्वर्ती अन्तरण एवं संपरिवर्तन प्रार्थीगण के कृषि भूमि के स्वत्व अधिकारों की घोषणा के मुकाबले प्रारम्भ से ही रद्द शून्य व बेअसर है। जिस सम्बन्ध में अनुतोष सहायता भी माननीय राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदत्त की जा सकती है जिससे हस्तगत प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व न्यायालय आपमें प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

11. यह कि प्रार्थी के द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 8 जो कि नगर पालिका होकर स्थानीय निकाय है के विरूद्व वाद प्रस्तुत किया है तथा सहायता चाही गयी है जिसके तहत नगर पालिका अधिनियम की धारा 304(2) के तहत नोटिस दिये जाने का प्रावधान है किन्तु प्रार्थीगण का प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होकर यदि प्रार्थीगण के द्वारा नोटिस दिया जाता है तो विपक्षीगण के द्वारा प्रार्थीगण की सम्पति को खुर्द बुर्द किया जा सकता है जिससे धारा 80(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत माननीय न्यायालय से नगर पालिका को बिना नोटिस दिये वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 9 व 10 हस्तगत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है जिनके विरूद्व कोई सहायता नहीं चाही गयी है उनको भी नोटिस दिये बगैर वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु भी उक्त प्रार्थना पत्र में निवेदन किया जा रहा हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

12. यह कि बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2017 को बमुकाम सनवाड में पैदा हुआ जब विपक्षीगण ने वादग्रस्त आराजी अन्य को हस्तान्तरित करने एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने की असफल चेष्ठा की तब से निरन्तर जारी हैं। प्रार्थीगण का मामला प्रथम दृष्टया होकर सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने की स्थिति में अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही कारित होगी। इसके विपरित विपक्षीगण को कोई क्षति कारित नहीं होगी। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमायी जावे कि विपक्षीगण प्रार्थीगण के 1/7–1/7 हिस्से का प्रार्थीगण को उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप कारित नहीं करे अर्थात विपक्षीगण 4/5 हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त नहीं करे तथा वादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार की क्षति कारित नहीं करे, कृषि भूमि के रूप में मौके की स्थिति को परिवर्तन नहीं करे तथा न ही वादग्रस्त भूमियों का किसी प्रकार से हस्तान्तरण ही करे। उक्त कृत्य विपक्षीगण स्वयं एवं अपने नौकर, एजेन्ट आदि से भी नहीं करावें।

13. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1, 2, 4 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। विपक्षी संख्या 3/1 से 3/4 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 8 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को पर्याप्त समय धारा 304(2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का नोटिस देने के लिए था किन्तु प्रार्थीगण ने नहीं दिया जिससे बगैर नोटिस दिये प्रार्थना प्रस्तुत करने से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बेरून मयाद होने से भी खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण गलत एवं मिथ्या हैं। प्रार्थीगण किसी प्रकार की सहायता नगरपालिका के विरूद्व माननीय न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

14. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3/1 से 3/4 द्वारा अपनी बहस में उक्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण सही पारित होने का कथन कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

15. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 8 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में बंटवाडा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नही है। अतः भूमि विपक्षी संख्या 8 के नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन* — चूंकि वाद वर्णित भूमि के खातेदार विपक्षी सं. 8 है। यदि खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदार को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित हुआ हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व में साबित होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व में निर्णित किया जाता है।

3. *अपूरणीय क्षति—* चूंकि वाद वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 8 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थीगण विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते है यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व में निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व में निर्णित किया जाता है।

16. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की आराजी नम्बर 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1234 वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 8 के नाम दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के विपक्षी संख्या 8 खातेदार हैं। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी संख्या 8 को पाबंद करवाना चाह रहे हैं। चूंकि वाद वर्णित भूमि के विपक्षी संख्या 8 रेकार्डेड खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

होने से यदि विपक्षी संख्या 8 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी तथा खातेदार को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये गये है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested